राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक : प. 6(36)प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर, दिनांक : 20.9.2017

आज्ञा

माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति एवं राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के मध्य दिनांक 27.08.2017 को हुई सहमति के संबंध में महासंघ के ज्ञापन में प्रस्तुत मांग संख्या 1 व 2 का परीक्षण करने हेतु विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग — सदस्य
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–I) विभाग — सदस्य सचिव

समिति द्वारा अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के ज्ञापन मे प्रस्तुत मांग संख्या 1 व 2 में उल्लेखित ग्रेड पे तथा वेतन विसंगति पर शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु मांग के औचित्य का परीक्षण किया जायेगा। समिति ज्ञापन में प्रस्तुत मांग संख्या 1 व 2 पर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

20/9/17

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–I) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/9/2017

(के.के. खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी